

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022022-233338
CG-DL-E-11022022-233338

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]
No. 601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2022

का.आ. 620(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः—

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगा।
- सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैराग्राफ 1, के उप-पैराग्राफ (2), को निम्नलिखित उप-पैराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—
“(2) यह 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।”

[फा. सं. 14031/99/2020-सीआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

नोट : प्रमुख आदेश का.आ. 1045(अ) दिनांक 12 मार्च, 2020 के द्वारा भारत का राजपत्र, असधारण, भाग II धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित हुआ था और का.आ. 902(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2021 के द्वारा इस आदेश को अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 10th February, 2022

S.O. 620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Safety Glass (Quality Control) Amendment Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Safety Glass (Quality Control) Order, 2020 in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
“(2) It shall come into force with effect from 1st April, 2023.”.

[F. No. 14031/99/2020-CI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* number S.O. 1045(E), dated the 12th March, 2020 and last Order amended *vide* S.O. 902(E), dated the 25th February, 2021.